म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क. / बी–6 / नियमन / 2019–2020 / 297 भोपाल,दिनांक 24/ 04 / 2020

प्रति,

1 संयुक्त / उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)

2 भारसाधक अधिकारी / सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति..................... (समस्त)
जिला .... (म.प्र.)

विषयः– **मण्डी कृत्यकारियों के लायसेंस नवीनीकरण अवधि मे वृद्धि के संबंध मे।**

संदर्भः– मंडी बोर्ड मुख्यालय का पत्र कमांक / बी–6 / नियमन / 2019–2020 / 279 दिनॉक 31.03.2020

संदर्भित पत्र द्वारा कोरोना वायरस के संकमण की सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने से प्रदेश की मण्डी समितियो मे कार्यरत व्यापारी / प्रसंस्करणकर्ता / हम्माल–तुलावटी / पक्का आढ़तिया एव ऐसे सभी अनुज्ञप्तिधारी जिन्होंने मण्डी परिसर एवं मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज के व्यापार हेतु मण्डी बोर्ड अथवा मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई है और उनकी वैधता अवधि 31 मार्च, 2020 अथवा 15 अप्रैल, 2020 थी, ऐसे समस्त अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण की अवधि 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ाई गई थी।

वर्तमान में कोरोना संकमण के कारण लॉकडाउन की स्थिति निरन्तर बनी हुयी है। ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण की अवधि 30 अप्रैल 2020 के स्थान पर 30 मई 2020 नियत की जाती है। बढ़ाई गई अवधि में किसी भी लायसेंसी व्यक्ति / फर्म / प्रसंस्करणकर्ता से नियमानुसार लायसेंस शुल्क प्राप्त करने के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

letter 19-20